



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



प्रेषिति-

श्री अरुण कुमार शुक्ला,
नामित खान मालिक,
जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,
जे के पुरम, बसंतगढ़, पिंडवाड़ा,
सिरोही, राजस्थान, पिन-307019
ईमेल-arun.shukla@jkm.com

श्री मुकुल श्रीवास्तव, खान एजेंट,
जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,
ग्राम- मालपुरी खुर्द, खासडीह,
पोस्ट- अहिवारा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़-490036
ईमेल-mukul.srivastava@durg.jkm.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके जे. के. लक्ष्मी चूनापत्थर खान (ML-1) 267.695 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) [MCDR, 2017 as amended] के नियमों के उल्लंघन के संबंध में ।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 09.08.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री बी. एल. भाट्टी, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
45(7)	<p>In annual return submitted for financial year 2023-24 following discrepancies are observed;</p> <ol style="list-style-type: none"> At Part-I, Para-03 (10), date of transfer is furnished as 19.07.1994, whereas lease has not been transferred any time. At Part-V, Para-02, depletion of reserves during the reporting year are furnished incorrectly. At Part-VI, the production of cement grade limestone reported at Para-03 (ii) does not commensurate with the information furnished/reported at Para-02-Production and Stocks of ROM ore at Mine-head. At Part-VI, Para-05, the sales-despatches of cement grade limestone for domestic purposes reported as 2666104.22 Tonnes (276767.10+ 2389337.12) whereas in Para-03 (ii) quantity of cement grade limestone despatches from mine head reported as 2846742.21 Tonnes. <p>The above discrepancies may be construed as providing incomplete or wrong or false information in the submitted annual returns.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है ।

I/38548/2024

03. It is also brought to your notice that non-compliance Rule 45(7) of MCDR, 2017 (as amended) attracts the following provisions under which:

- (i) The mining operation may be suspended.
- (ii) Action may be initiated for prosecution under this rule.
- (iii) Termination of the mineral concession may be recommended.

04. अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इस पत्र के जारी होने के 45 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

Signed by Prasant Kumar
Sahu

Date: 29-08-2024 11:17:34

Reason: Approved

प्रशान्त कुमार साहू

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ:- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001।

2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, इंद्रायती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़। ईमेल- dgm.cg@nic.in

हस्ता/-

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो